

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/18355 दिनांक ५/२/१९

—:आदेश:—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री अरुण कुमार	कार्यालय सहायक	भीनमाल	सुमेरपुर
2	श्री रतनलाल वर्मा	वरिष्ठ सहायक	झुझुंनू	सुजानगढ़
3	श्रीकर्णपाल पुत्र बाबूलाल घास	कनिष्ठ सहायक	राजलदेसर	बीकानेर
4	श्रीमति डिम्पल अठवाल	कनिष्ठ लिपिक	नौखां	हनुमानगढ़
5	श्री गफ्फार खां	बगवान	भरतपुर	टोडाभीम
6	वेबी पत्नी मंगतराम	सफाई कर्मचारी	हनुमानगढ़	एपीओ निदेशालय
7	श्री सुरेश पुत्र श्री लालचंद	सफाई कर्मचारी	हनुमानगढ़	एपीओ निदेशालय
8	श्रीमति रेखा देवी	सफाई कर्मचारी	लाडनूं	सुजानगढ़
9	श्री आकाश	सफाई कर्मचारी	टोंक	सुजानगढ़

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/933-998 दिनांक 23.01.2019 के क्रम संख्या 16 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद खडगावत कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका चौमूं से एपीओ निदेशालय किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/1095 दिनांक 25.01.2019 के क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री अरुण सोनी, क० लेखाकार का नगर पालिका सरदारशहर से एपीओ निदेशालय किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर इनका पदस्थापन नगर पालिका बीदासर किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति संबंधित निकाय में देवे।

उक्तानुसार कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


 (पवन अरोडा)
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/18356-18394 दिनांक ५/२/१९
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग,
05. महापौर/अध्यक्ष/सभापति/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका
06. संबंधित कर्मचारी श्री.....।


(डॉ. विरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)